



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264453
CG-DL-E-08072025-264453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ 16, 1947

No. 409]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 194

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025.

सा.का.नि. 452(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुक, कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये 14 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
- कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में ई-प्ररूप संख्या सीएसआर-1 के स्थान पर निम्नलिखित ई-प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

ई-फॉर्म संख्या सीएसआर-1

सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (सीएसआर
नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) और धारा 4(2) के अनुसार]



ई-फॉर्म की भाषा

☒ अंग्रेजी ☐ हिंदी

ई-फॉर्म फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें

* से चिह्नित सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं

इकाई विवरण**1 *इकाई की प्रकृति**

- ☐ धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित ।
- ☐ धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी।
- ☐ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ।
- ☐ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ।
- ☐ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ।
- ☐ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ।
- ☐ धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ।
- ☐ संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई ।

2(क) क्या इकाई किसी कंपनी या कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित की गई है

हां ☐नहीं ☐

(ख) (i) यदि हां, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा प्रदान करें

कंपनी का सीआईएन	कंपनी का नाम

जोड़ें

(ii) यदि नहीं, तो क्या इकाई के पास इस प्रकार के क्रियाकलाप करने का तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है?

हां ☐नहीं ☐

3 (क) *विद्यमान इकाई का प्रकार

(धारा 8 कंपनी/न्यास/सोसायटी/अन्य)

(ख) *सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या

(धारा 8/कंपनी के मामले में, सीआईएन दर्ज करें। अन्यथा, रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करें)

(ग) * इकाई का नाम

(घ) * इकाई के निगमन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(ङ) इकाई का पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

* पिन कोड

* क्षेत्र/इलाका

* शहर

ज़िला

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(च) * इकाई की ई-मेल आईडी

(छ) *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें

(ज) * इकाई का पैन

ओटीपी भेजें

सत्यापित

प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण

4 *निदेशकों/न्यास मंडल/अध्यक्ष/सीईओ/सचिव/इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	डीआईकन / पैन	ईमेल आईडी

पंक्ति जोड़ें

पंक्ति का लोप करें

संलग्नक

(a) *रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(b) *इकाई के पैन की प्रति

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

घोषणा

मुझे इकाई द्वारा संकल्प संख्या* तारीख *
(तारीख/माह/वर्ष) के अधीन इस ई-फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि उपरोक्त ई-फॉर्म में दिए गए विवरण सत्य हैं तथा इकाई द्वारा रखे गए दस्तावेजों से भी मेल खाते हैं।

धारा 8/कंपनी के मामले में एक निदेशक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए; या
रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास के मामले में न्यासी/सीईओ में से किसी एक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए; या
रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के मामले में अध्यक्ष/सीईओ/सचिव द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए; या
संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई के मामले में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

***डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए**

डीएससी बाक्स

*पद का नाम

(निदेशक/न्यासी/सीईओ/अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि)

*निदेशक का डीआईएन; या न्यासी या सीईओ या अध्यक्ष या
इकाई का सचिव या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन;

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस ई-फॉर्म के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस ई-फॉर्म की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों से उपरोक्त विवरण (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस ई-फॉर्म की विषय-वस्तु है और मैंने उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस ई-फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

1. उक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, इकाई के अपेक्षित अधिकारियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हैं और सही पाए गए हैं;
2. सभी आवश्यक संलग्नक इस ई-फॉर्म के साथ पूर्णतः और सुपाठ्य रूप से संलग्न कर दिए गए हैं;
3. यह समझा जाता है कि यदि किसी भी स्तर पर कोई गलत प्रमाणीकरण पाया जाता है, तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

*** डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए**

डीएससी बाक्स

☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक वृत्तिक)

☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक वृत्तिक)

☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक वृत्तिक)

*चाहे सहायक हो या साथी

☐ सहायक

☐ साथी

सदस्यता संख्या

वृत्तिक प्रमाणपत्र संख्या

सुरक्षित

भेजें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनमें क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए:

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-फॉर्म प्राधिकृत व्यक्ति और वृत्तिक द्वारा दिए गए सत्यता के बयान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।

[ई-एफ. संख्या 05/03/2022-सीएसआर]

इंद्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 43 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 540 (अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 895 (अ), तारीख 19 सितंबर, 2018, सा.का.नि. 526 (अ), तारीख 24 अगस्त, 2020, सा.का.नि. 40 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2021 और सा.का.नि. 715 (अ), तारीख 20 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025.

G.S.R. 452(E).— In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2025.

(3) They shall come into force with effect from the 14th day of July, 2025.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, for e-form No. CSR-1, the following e-form shall be substituted, namely:—

e-form No. CSR-1

Registration of Entities for undertaking CSR Activities

[Pursuant to section 135 of the Companies Act, 2013 and rule and 4(2) of Companies (CSR Policy) Rules, 2014]



e-form language

☒ English ☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the e-form

*All fields marked in * are mandatory*

Entity Details

1 *Nature of the Entity

- ☐ Company established under section 8, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- ☐ Company established under section 8, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961
- ☐ Registered public trust, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- ☐ Registered Public trust, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961
- ☐ Registered society, exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- ☐ Registered society, registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act, 1961
- ☐ Company established under section 8 or registered Trust or registered Society established by the Central Government or State Government
- ☐ Entity established under an Act of Parliament or State Legislature

2 (a) Whether the Entity is established by any company or group of companies ☐ Yes ☐ No

(b)(i) If yes, then provide the details of such company (s)

CIN of Company	Name of Company

Add

(ii) If no, whether the entity has an established track record of three years in ☐ Yes ☐ No

undertaking similar activities

3 (a) *Type of Existing entity

(section 8 Company/Trust/Society/Others)

(b) *CIN/ Registration Number

(In case of a section 8/ company, enter CIN. Else, enter registration number)

(c) *Name of the entity

(d) *Date of incorporation of the entity (DD/MM/YYYY)

(e) Address of the entity

*Address Line I

Address Line II

*Country

*Pin code

*Area/Locality

*City

District

*State/Union Territory

(f) *E-mail ID of the entity

Send OTP

(g) *Enter OTP for E-mail Id

Verify

(h) *PAN of the entity

Authorised representatives details

4 *Details of Directors/ Board of Trustees/ Chairman/ CEO/ Secretary/ Authorised Representatives of the entity

Sl. No.	Name	Designation	DIN / PAN	E-mail ID

Add row

Delete row

Attachments

(c) *Copy of Certificate of Registration

Choose File

Remove

Download

(d) *Copy of PAN of Entity

Choose File

Remov

Downloa

Declaration

I am authorised by the entity vide resolution number* dated*
(DD/MM/YYYY) to sign this e-form and declare that
the particulars given in the e-form herein above are true and also are in agreement with the documents
maintained by the Entity.

To be digitally signed by one director in case of section 8/ company; or

To be digitally signed by one of the Trustee/ CEO in case of Registered Public Trust; or

To be digitally signed by Chairperson/ CEO/ Secretary in case of Registered Society; or

To be digitally signed by Authorised Representative in case of Entity established under an Act of
Parliament or State Legislature.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Trustee/CEO/Chairperson/ Secretary/Authorised Representative)



*DIN of the director; or DIN or PAN of the Trustee or CEO or Chairperson or
Secretary or authorised representative of the Entity;

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this e-form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this e-form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/ applicant which is subject matter of this e-form and found them to be true, correct and complete and no information material to this e-form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers/ authorised representatives of the entity and were found to be in order;
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this e-form;
3. It is understood that I shall be liable for action under section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

☐ Chartered accountant (in whole time practice)

☐ Cost accountant (in whole time practice)

☐ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow

☐ Associate

☐ Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

e-form Service request number (SRN)

e-form filing date (DD/MM/YYYY)

This e-form has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorised person and professional.

[E-F. No. 05/03/2022-CSR]

INDERDEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 129(E), dated the 28th February, 2014 and subsequently amended by notification numbers G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, G.S.R. 540(E), dated the 23rd May, 2016, G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018, G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020, G.S.R. 40(E), dated the 22nd January, 2021 and G.S.R. 715(E), dated the 20th September, 2022.